



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37576

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 375/2026

निखिल शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक पक्षकार के अधिवक्ता

:

अखिलेश कुमार सिंह

विपक्षी गण के अधिवक्ता

:

अमृता राय मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

- कार्यालय द्वारा दिनांक 11.02.2026 की प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया गया है कि वाद के प्रथम सूचनाकर्ता को जारी नोटिस उसके भाई के माध्यम से तामील किया है। नोटिस की तामील के बावजूद, न तो सूचनाकर्ता की ओर से और न ही उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोई उपस्थित हुआ है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि वह सूचनाकर्ता की भांजी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आगे यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह आवेदक के साथ प्रेम एवं स्नेह के कारण, बिना

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किसी भय या दबाव के, अपनी स्वेच्छा से गई थी, जबकि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि वह क्रोधवश अपनी इच्छा से घर से बाहर गई थी और अब वह अपने घर वापस जाना चाहती है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। अतः यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के तत्व लागू नहीं होते। इस प्रकार यह कहा गया कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वे परिस्थितियां भी बताई गईं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यक होगा न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 12.05.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण के पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी प्रकार की राहत का अधिकारी नहीं है। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।
5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, साक्ष्यों की प्रकृति तथा प्रकरण से संबंधित समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत प्राप्त करने हेतु एक उपयुक्त मामला स्थापित करने में सफल हुआ है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. अभियुक्त/आवेदक निखिल शर्मा, जो मुकदमा अपराध संख्या 154 / 2025, धारा 87, 137(2), 65(1) बी.एन.एस. तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2), थाना गभाना, जनपद अलीगढ़ से संबंधित है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या प्रताड़ित नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह आरोपित है या जिसके करने का संदेह है।
- v) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से विरत हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 17 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"